राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 1(15)एम.ई./ग्रुप–1/2018 जयपुर, दिनांक 01 JAN 2019

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(12)एम.ई./ग्रुप–1/1996 दिनांक 05.04.2018 के द्वारा डॉ0 रेणु कुमारी जैन (मेरिट क्रमांक R-14/सामान्य महिला, जन्म तिथि 13.01.1982) को वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए इनका पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, अजमेर में किया गया था। नियुक्ति आदेश के अनुसार डॉ0 जैन को आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह की समयावधि में पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना था।

डॉ0 रेणु कुमारी जैन द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यभार ग्रहण काल में अभिवृद्धि हेतु अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में विभाग के आदेश कमांक प. 1(15)एम.ई./ग्रुप–1/2018 दिनांक 02.05.2018 के द्वारा डॉ0 जैन के कार्यभार ग्रहण काल में दिनांक 01.06.2018 तक की अभिवृद्धि कर निर्देशित किया गया था कि अभिवृद्धि की गई समयावधि में पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण कर इस विभाग को सूचित करे। डॉ0 जैन द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण न कर पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यभार ग्रहण काल अभिवृद्धि हेतु अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में विभाग के आदेश कमांक प. 1(15)एम.ई./ग्रुप–1/2018 दिनांक 01.06.2018 के द्वारा डॉ0 जैन के कार्यभार ग्रहण काल में दिनांक 01.08.2018 तक की अभिवृद्धि कर निर्देशित किया गया था कि कार्यभार ग्रहण काल में यह अन्तिम बार अभिवृद्धि की जा रही है। इस समयावधि में आवश्यक रूप से पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण कर इस विभाग को सूचित करे अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक, मेडिकल कॉलेज अजमेर के पत्रांक 47110/संस्थापन–1/एमसीए/2018 दिनांक 16.10.2018 द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार डॉ0 रेणु कुमारी जैन ने दिनांक 16.10.2018 तक वरिष्ठ प्रदर्शक पैथोलोजी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि डॉ0 रेणु कुमारी जैन नवनियुक्ति पर कार्यग्रहण करने की इच्छुक नहीं है। अतः डॉ0 जैन के द्वारा नवनियुक्ति पर पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नही करने के फलस्वरूप इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(12)एम.ई./ग्रुप–1/1996 दिनांक 05.04.2018 के द्वारा उनका वरिष्ठ प्रदर्शक पैथोलोजी के पद पर नियुक्ति हेतु जारी आदेश एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,

(मोहन लाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को विभाग के आदेश प. 1(12)एम.ई./ग्रुप–1/1996 दिनांक 05.04.2018 के संदर्भ में।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर।
4. ए.सी.पी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. डॉ0 रेणु कुमारी जैन पत्नी श्री अखिल अग्रवाल, एफ–97, मेजर शैतान सिंह कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर(राज.)–302016 (**रजिस्टर्ड डाक से**)।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव